FAQ

बार–बार पूछे
जाने वाले प्रश्न

बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापारिक पहलू (ट्रिप्स)

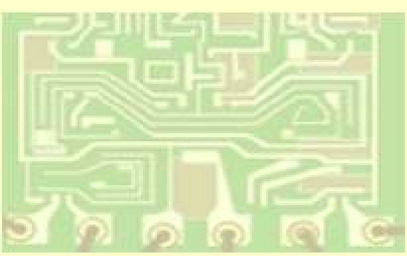

डब्लूटीओ केंद्र
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

आमुख

उरूग्वे चक्र की वार्त्ता का महत्वपूर्ण परिणाम बौद्धिक संपदा अधिकार पर नवीन अन्तर्राष्ट्रीय युक्ति, जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापारिक पहलू का अनुबंध कहा जाता है, का प्रभावी होना था। ट्रिप्स अनुबंध, जो इसका ज्ञात प्रचलित नाम है, बौद्धिक संपदा अधिकार के विस्तृत क्षेत्र पर प्रकाश डालता है, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्कस्, और औद्योगिक डिज़ाइन (प्रारूपण) जैसे विषय–वस्तु के साथ भौगालिक संकेतक तथा व्यापार–भेद जैसे नवीन विषय शामिल हैं। इस अनुबंध का विषय अत्यधिक महत्व का है और विशद् नवीन गतिविधियों एवं चुनौतियों का सामना कर रहा है। बहुपक्षीय स्तर पर, डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स अनुबंध के कुछ क्षेत्रों का प्रसार तथा परिशोधन करने के लिए वार्त्ताएं जारी हैं, जबकि अनेक मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में नये प्रावधानों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया पहले ही मौजूद है, जो ट्रिप्स के प्रावधानों से अधिक हैं, और इसीलिए उन्हें ट्रिप्स–प्लस कहा जाता है।

यह भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष नयी चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करता है। एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की ज्ञान–आधारित उद्योगों में पर्याप्त साझेदारी है, जो शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु बौद्धिक संपदा की सुरक्षा में परिणत हो सकता है। साथ ही, इसे सतर्क भी रहना है कि बौद्धिक संपदा सुरक्षा का स्तर अधिक ऊँचा होने से औषधि उद्योग जैसे कुछ महत्वपूर्ण निर्माण–क्षेत्रों की सजीवता प्रभावित न हो।

ट्रिप्स पर सामान्य सवालों का यह संकलन, विशेषकर भारत के संदर्भ में ट्रिप्स के जटिल विषय–वस्तु के विभिन्न प्रावधानों पर एक विहंगम दृष्टि डालता है, जिससे आम पाठक इस विषय से सरल एवं सुगम रूप में परिचित हो। आशा है, पाठक इस प्रकाशन को उपयोगी पाएंगे।

नई दिल्ली
16 नवम्बर 2010

के.टी. चाको
निदेशक, आईआईएफटी

आभार

- डॉक्टर मनीषा श्रीधर, आईएएस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पेशेवर, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं व्यापार इकाई, एसईएआरओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रश्नोत्तरी निर्माण।
- प्रोफ़ेसर शशांक प्रिय, विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र का प्रश्नोत्तरी निर्माण एवं प्रकाशन के लिए समन्वय।
- श्री टी सी जेम्स भूतपूर्व निदेशक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा वर्त्तमान में निदेशक, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन के रूप में कार्यरत, श्री अतुल कौशिक, भूतपूर्व निदेशक, वाणिज्य विभाग तथा वर्त्तमान में निदेशक, सीयूटीएस जीआरसी एवं सलाहकार (परियोजना), सीयूटीएस इंटरनेशनल के रूप में कार्यरत तथा प्रोफ़ेसर मधुकर सिन्हा, विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र का प्रश्नोत्तरी की विषय–वस्तु एवं रुपरेखा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण सुझाव।
- विशेष रूप से डॉ प्रज्ञा अवस्थी, श्री नकुल दवे, श्री शुभेन्द्रु शेखर, संसाधन केन्द्र, विश्व व्यापार संगठन, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल (म.प्र.) द्वारा इस प्रश्नोत्तरी के उत्त्म हिंदी अनुवाद।
- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के हिंदी कक्ष से राजेन्द्र प्रसाद का अनुवाद व संपादकीय कार्यों के लिए सहयोग ।

बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापारिक पहलू (ट्रिप्स) के मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन समझौता दो भागों में प्रस्तुत किया गया हैः प्रथमतः अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ, जो समझौते के उत्पत्ति, इसके विभिन्न अवयव, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से इसके संबंध तथा आगामी गतिविधियों का उल्लेख करता है। राष्ट्रीय संदर्भ में दूसरा भाग भारतीय परिदृश्य में ट्रिप्स के मुद्दों की विवेचना करता है।

भाग अः अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ

1. ट्रिप्स का परिचय

प्रश्न1: ट्रिप्स क्या है?

उत्तरः विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार–संबंधी पहलू के अनुबंध को सामान्यतया ट्रिप्स अनुबंध या केवल ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है। ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते के अन्तर्गत एक मुख्य अनुबंध है। यह अनुबंध गैट के अन्तर्गत 1986 से 1994 की अवधि में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के आठवें चक्र में सुनिश्चित हुआ, जो 1986 से 1994 की उरुग्वे वार्ता के रुप में ज्ञात है। यह मर्रकेश अनुबंध के परिशिष्ट एक सी में उल्लेखित है, जो मुख्य डब्ल्यूटीओ समझौते का नाम है। उरुग्वे वार्ता ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में पहली बार बौद्धिक संपदा अधिकार को व्यापक विधाओं के समूह के रुप में शामिल किया।

ट्रिप्स अनुबंध उरुग्वे चक्र की वार्ताओं के फलस्वरुप एकल प्रयास का हिस्सा है। तात्पर्य यह है कि ट्रिप्स अनुबंध सभी विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों पर अनिवार्यतः लागू होता है। यह भी अर्थ है कि अनुबंध के प्रावधान विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटारा प्रक्रिया के अधीन है, जो विवाद निपटारा सहमति (विवाद निपटारा संबंधी नियमों एवं प्रकियाओं पर सहमति) में शामिल है। ट्रिप्स अनुबंध विश्व व्यापार संगठन के सवार्धिक महत्वपूर्ण अनुबंधों में से एक है।

प्रश्न 2: ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ में क्यों शामिल किया गया?

उत्तर: डब्ल्यूटीओ से पूर्व गैट (प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार) द्वारा वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों को सुलझाया जाता था। गैट के कई वर्षों के क्रियान्वयन से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रशुल्कों में आम तौर पर कमी आई। परिणामतः, व्यापारी देशों के ध्यान में संबंधित देशों की अन्य घरेलू नीतियाँ भी उत्तरोत्तर आने लगी। विकसित देश, जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका भी शामिल है, एशिया के नव औद्योगिकीकृत देशों से तैयार माल के निर्यात में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करने लगे।

आम तौर पर बौद्धिक संपदा मामलों में, वार्ताकारों को गैट प्रावधानों को स्पष्ट करना, तथा उचित नये नियमों एवं विधाओं के रुप में सविस्तार बताना होता था ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विकृतियाँ एवं बाधाएँ कम हो सकें। जिस प्रकार वस्तुओं तथा उत्पादों की गुणवत्ता में बेहतर युक्ति एवं प्रारुप (बौद्धिक रचनात्मकता) के कारण तकनीक अधिक महत्वपूर्ण हो गया, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बौद्धिक संपदा अधिकार भी महत्वपूर्ण हो गया। फलस्वरुप, उरुग्वे चक्र की वार्ताओं में बौद्धिक संपदा अधिकार की चर्चा प्रमुख रही।

प्रश्न 3: बौद्धिक संपदा अधिकार क्या हैं और वे किस प्रकार किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के स्वामी को सुरक्षा प्रदान करते हैं?

उत्तर: बौद्धिक संपदा अधिकार या आईपीआर्स लोगों को मानसिक सृजन के लिए दिए गए अधिकार हैं। ये अधिकार समाज की ओर से राज्य द्वारा उन विचारों एवं उक्तियों के सृजन एवं प्रसार हेतु प्रोत्साहन के रुप में दिए जाते हैं, जिससे संपूर्ण समाज का भला होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार से इतर, जो कि किसी देश के संविधान द्वारा निश्चित होता है, आईपीआर्स किसी देश में विधायी प्राधिकरण द्वारा पारित वैधानिक अधिकार हैं।

परंपरागत तौर पर, बौद्धिक संपदा अधिकार के कई रुप मान्य हैं। वे सामान्यतया दो संवर्गों में विभाजित किए गए हैं।

- कॉपीराइट (सर्वाधिकार) एवं संबंधित अधिकारः वे अधिकार हैं, जो साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों के रचनाकार को दिए जाते हैं,

और कलाकार तथा फोनोग्राम एवं प्रसारण करने वाली संस्थाओं के निर्माता के होते हैं। सर्वाधिकार एवं संबंधित अधिकारों की सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करना है। इस प्रकार के अधिकारों की अलग पहचान यह है कि वे केवल किसी विचार की साकार अभिव्यकित की ही सुरक्षा करते हैं, न कि उस विचार की। पुनः ये अधिकार सामान्यतया तभी अस्तित्व में आते हैं, जब कोई कृति सृजित होती है और किसी केन्द्रीय प्राधिकरण से इनका पंजीयन आवश्यक नहीं होता है।

- औद्योगिक संपदाः इस श्रेणी में शामिल हैं–

  (1) उन विशिष्ट चिह्नोंकी सुरक्षा, जैसे कि ट्रेडमार्क एवं भौगोलिक संकेतक तथा

  (2) ऐसी औद्योगिक संपदा जो मुख्य रूप से नवाचार, प्रारूप तथा तकनीक के सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु आविष्कारों (पेटेंट), औद्योगिक प्रारूपों एवं व्यापार–भेदों की सुरक्षा के कानूनों द्वारा सुरक्षित हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार स्वत्वधारी को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे रचनाकार को सामान्यतया सीमित अवधि के लिए अपनी बौद्धिक रचना के उपयोग का विशेषाधिकार देते हैं। लेकिन, बौद्धिक संपदा अधिकार की कुछ श्रेणियों में, जैसे कि व्यापार–भेद एवं भौगोलिक संकेतक, ये अधिकार अनिश्चित अवधि के लिए तब तक जीवित रहते हैं जब तक स्वत्वधारी अपने अधिकारों की सुरक्षा के उपाय करते रहते हैं। कुछ अन्य समयबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार के मामले में, यह संभव है कि इन अधिकारों का नवीनीकरण निश्चित अवधि के उपरांत या तो ट्रेडमार्क की तरह अनिश्चित रूप से लंबी अवधि के लिए या औद्योगिक प्रारूपों की तरह पूर्व निर्धारित महत्तम सीमा तक होती है।

प्रश्न 4: ट्रिप्स के अंतर्गत कौन–से बौद्धिक संपदा अधिकार हैं?

उत्तरः ट्रिप्स के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार हैं :

- कॉपीराइट (सर्वाधिकार) एवं संबंधित अधिकार (जैसे कि कलाकार, फोनोग्राम एवं प्रसारण करने वाली संस्थाओं के निर्माता के अधिकार);

- ट्रेडमार्क, जिनमें सेवा–चिह्न शामिल हैं;
- भौगोलिक संकेतक, जिनमें उत्पति–स्थल सूचक शामिल हैं;
- औद्योगिक प्रारूपण;
- पेटेंट, जिनमें वनस्पति के नये प्रजातियों की रक्षा शामिल हैं;
- एकीकृत परिपथ का नक्शा;
- गुप्त सूचना, जिनमें व्यापार–भेद एवं परीक्षण आँकड़े शामिल हैं।

2. ट्रिप्स, डब्ल्यूटीओ एवं डब्ल्यूआईपीओ के संबंध

प्रश्न 5: ट्रिप्स, डब्ल्यूटीओ एवं डब्ल्यूआईपी ओ के बीच क्या संबंध हैं?

उत्तर: किसी बहुपक्षीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर्स) का आरंभ–विंदु औद्योगिक संपदा के रक्षा हेतु 1883 का पेरिस सम्मेलन है, जो औद्योगिक संपदा (पेटेंट एवं ट्रेडमार्क) की सुरक्षा में हुआ, जबकि कॉपीराइट (सर्वाधिकार) एवं संबंधित अधिकार के मामले में साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों की सुरक्षा हेतु 1886 का बर्न सम्मेलन है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ), जिसने 1893 से कार्यरत बौद्धिक संपदा संरक्षण ब्यूरो से भार ग्रहण कर 1967 में अपना कार्य आरंभ किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी है, जो इन समझौते को प्रभावी बनाती है। डब्ल्यूआईपीओ बौद्धिक संपदा अधिकार पर कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को भी क्रियान्वित करता है।

एक ओर जहाँ बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते एवं संधियाँ आईपीआर्स के संरक्षण में सदस्य देशों द्वारा मान्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को निर्मित करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अन्तर्गत आईपीआर्स के वास्तविक व्यापारिक विषय ट्रिप्स अनुबंध द्वारा उल्लेख कर विश्व व्यापार संगठन में शामिल किए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि यह अनुबंध महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के कुछ वास्तविक प्रावधानों में अन्तर्निहित मानकों को शामिल कर विचारों तथा रचनात्मकता में व्यापार और निवेश के नियम प्रदान करता है।

विश्व व्यापार संगठन मानता है कि व्यापार की स्थिति में 'बौद्धिक संपदा' की रक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार, विश्व व्यापार संगठन सभी सदस्य देशों को ट्रिप्स के द्वारा इसके अन्तर्गत प्रदत्त आईपीआर के बुनियादी न्यूनतम मानकों का अनुसरण करने, तथा इस क्षेत्र में घरेलू कानूनों को सुसंगत बनाने के लिए बाध्य करता है।

3. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा–पत्र

प्रश्न 6: सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा–पत्र का क्या महत्व है? यह क्यों आवश्यक था?

उत्तर: ट्रिप्स अनुबंध द्वारा निर्धारित कठोर बौद्धिक संपदा अधिकारों की रूपरेखा, औषधि निर्माताओं को सीमांत लागत से अधिक मूल्य लेने में सक्षम बनाती है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा निगरानी में सरकार की सक्षमता, निर्माताओं के बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा करने की बाध्यता के कारण कुप्रभावित होती है। तात्पर्य यह है कि सरकार की क्रयोचित औषधि प्रदाय की क्षमता सीमित हो सकती है।

2001 में, क्रयोचित मूल्य पर दवा की सीमित पूर्त्ति या पूर्त्ति नहीं होने की विकासशील देशों की चिन्ताओं के समाधानस्वरूप, विश्व व्यापार संगठन के देश सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में ट्रिप्स अनुबंध को स्पष्ट करने हेतु दोहा घोषणा–पत्र जारी करने पर सहमत हो गए। घोषणा–पत्र उल्लेख करता है कि ट्रिप्स अनुबंध सदस्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय करने से नहीं रोकेगा, तथा यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक सदस्य को अपने बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों के अपवादस्वरूप कार्य करने की छूट होगी, ताकि वह बौद्धिक संपदा अधिकार के स्वामी की सहमति नहीं प्राप्त होने पर भी आवश्यक वस्तुओं, जैसे कि जीवनरक्षक दवाओं के निर्माण हेतु अनिवार्य अनुज्ञा–पत्र प्रदान करने में सक्षम हो। प्रत्येक सदस्य को ऐसे अनिवार्य अनुज्ञा–पत्र प्रदान किए जाने का आधार सुनिश्चित करना होगा, तथा यह निर्धारित करने का अधिकार होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल से क्या तात्पर्य है। 2003 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर, सदस्य देश ग्रहण करनेवाले देश की निर्माण–क्षमता कम

होने पर दवाओं के सीमित निर्यात और आयात हेतु अनिवार्य अनुज्ञा–पत्र प्रदान कर सकते हैं।

प्रश्न 7: दोहा घोषणा–पत्र की क्या चुनौतियाँ हैं?

उत्तर: यद्यपि ट्रिप्स अनुबंध एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा–पत्र (तदनंतर दोहा घोषणा–पत्र) तथा ट्रिप्स अनुबंध एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा–पत्र के अनुच्छेद 6 का क्रियान्वयन (तदनन्तर 2003 निर्णय) सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता को मानते हैं, और ट्रिप्स अनुबंध के आशय के प्रति चिन्ता जाहिर करते हैं, इन दस्तावेजों ने कई तकनीकी एवं वैधानिक समस्याओं को अनिर्णीत रखा। उदाहरण के लिए, चूँकि दोहा घोषणा–पत्र में 'महामारी' शब्द अपारिभाषित है, जबकि दोहा घोषणा–पत्र प्रत्येक देश के राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति को निर्धारित करने के अधिकार को स्वीकारता है, फिर भी सरकारें औषधि निर्माताओं से कुछ दवाओं हेतु अनिवार्य अनुज्ञा–पत्र जारी करने पर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि दीर्घकालिक बीमारियों, जैसे कि एचआईवी/एड्स, यक्ष्मा, मलेरिया तथा अन्य महामारियाँ, की दवाएँ इस अधिकार को सीमित करनेवाली हो सकती हैं क्योंकि दीर्घकालिक बीमारी की स्थिति राष्ट्रीय आपातकाल को नहीं बता सकती। ये चिंताएं भी हैं कि 2003 निर्णय के अन्तर्गत घोषणा–पत्र द्वारा शून्य स्थानीय निर्माण–क्षमतावाले देशों को औषधि प्रदान करने की प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित करने की कार्यविधि से संबद्ध प्रशासनिक दायित्व विशेषकर विकासशील देशों के लिए मँहगे और पेंचीदे होंगे।

4. मुक्त व्यापार समझौतों में ट्रिप्स के अतिरिक्त प्रावधान

प्रश्न 8: ट्रिप्स के अतिरिक्त प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: आईपीआर्स सीमागत अधिकार हैं, तथा आईपीआर विधानवाले देश की सीमा में प्राप्त किए जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी देश में प्राप्त बौद्धिक संपदा अधिकार दूसरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। ट्रिप्स अनुबंध अपने सदस्य देशों द्वारा ऐसे राष्ट्रीय विधानों तथा

विनियमनों को पारित कर आई पी आर के क्रियान्वयन एवं सुरक्षा के केवल कुछ मानकों को निर्धारित करती है। यद्यपि ट्रिप्स अनुबंध अपने सदस्य देशों को निर्धारित न्यूनतम मानकों से ऊँचे स्तर की सुरक्षा की अनुमति देता है ताकि सदस्यों को 'ट्रिप्स प्लस' विधानों तथा विनियमनों की छूट मिले। विकसित देश ट्रिप्स प्लस व्यवस्था को विकसित करने के लिए आई पी आर सुरक्षा के ऊच्चतर एवं बेहतर मानकों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऊच्चतर मानक अब विभिन्न मुक्त व्यापार समझौते में उल्लेखित हो रहे हैं, जो इन देशों द्वारा अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ तय हो रहे हैं। चूँकि ये प्रावधान ट्रिप्स के अन्तर्गत स्वीकृत न्यूनतम मानकों से बाहर हैं, वे ट्रिप्स अनुबंध से छूट (उदाहरणार्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात–स्थिति में आवश्यक दवाओं के लिए अनिवार्य अनुज्ञा–पत्र जारी करने की सक्षमता) का लाभ ले सकते हैं। ये देश नियमों तथा प्रतिबद्धताओं पर द्विपक्षीय, अन्तर्क्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय समझौते करते हैं, जो डब्ल्यूटीओ के बहुपक्षीय से बाहर हैं।

प्रश्न 9: मुक्त व्यापार समझौतों में ट्रिप्स के अतिरिक्त प्रावधान क्यों महत्वपूर्ण हैं और इस समावेश के परिणाम क्या होते हैं?

उत्तर: विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर, विकासशील देश कृषि, वस्त्र एवं अन्य उत्पादों पर प्रशुल्क में कटौती करते हैं। बदले में विकसित देश उत्पादों एवं अपने महत्व की सेवाओं के लिए बेहतर बाजार उपलब्धतता तथा निवेश के अवसर चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, विकासशील देश आईपीआर्स की सुरक्षा के न्यूनतम स्तरों को ऊँचा उठाना चाहते हैं ताकि उनकी तकनीकी उत्पादों एवं सेवाओं में तुलनात्मक लाभ की स्थिति रहे। साथ ही, विकासशील देश एफटीए वार्ताओं के द्वारा अपनी चिंता के मुद्दों को प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिनमें ट्रिप्स एवं सीबीडी की सुसंगतता, दवाओं की प्राप्ति, जैविक आनुवंशिक संसाधनों का जैव–परागमन से सुरक्षा, कृषकों के अधिकार एवं संबद्ध परंपरागत ज्ञान, कृषकों के जीवन–निर्वाह एवं आजीविका–संबंधी कृषि के तौर–तरीकों को जारी रखने की सक्षमता, तथा विकसित देशों के समान शराब एवं मादक पदार्थों की तरह अपने भौगोलिक संकेतकों के लिए एक जैसी सुरक्षा प्राप्त करना शामिल हैं। परिणामस्वरूप, एफटीए आईपीआर सुरक्षा के

स्तरों को बढ़ाकर विकसित देशों के पक्ष में अधिकारों एवं बाध्यताओं का एक असंतुलित ढाँचा पैदा करते हैं।

यद्यपि ऐसा कहा जा सकता है कि असमान समझौतों से विकासशील देशों के पीछे हटने पर कोई रोक नहीं है, यह भी तर्क दिया जाता है कि असमान वार्ता ताकतों के कारण कई द्विपक्षीय समझौते असमान रहते हैं। यदि घटे हुए प्रशुल्कों आदि से लाभ पाने की तात्कालिक आवश्यकता अधिक है, तो किसी विकासशील को आईपीआर जैसे दीर्घकालिक प्रभाववाले क्षेत्र में छूट देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

5. ट्रिप्स के अन्तर्गत आगामी वार्ताएँ

प्रश्न 10: ट्रिप्स के अन्तर्गत विचारार्थ आगामी मुद्दे क्या हैं?

उत्तर: ट्रिप्स के अन्तर्गत विचारार्थ कुछ मामले इस प्रकार हैं:

- ट्रिप्स एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 2001 के दोहा घोषणा–पत्र में छूट की प्रभावशीलता। दोहा घोषणा–पत्र में छूट ऐसी शर्त्त को हटाता है कि अनिवार्य लाइसेंस के अन्तर्गत उत्पादित जेनेरिक्स (वर्ग प्रजाति) केवल मुख्य बाजार के लिए होने चाहिए। यह दवा का उत्पादन नही करनेवाले देशों को निर्यात बाधित करेंगे। 2005 में ट्रिप्स समझौते में संशोधन किया गया है ताकि इन प्रवधानों का समावेश हो सके, परन्तु यह संशोधन प्रभावी नहीं हो पाया है क्योंकि अधिकांश सदस्यों ने इसे अब तक स्वीकार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त 2003 में स्थापित निर्धन देशों को क्रयोचित दर पर दवा प्रदान करने के लिए छूट की प्रक्रिया कारगर प्रतीत नहीं होती है क्योंकि इसके उपयोग का एकमात्र प्रकरण है, (जब र्वांडा ने कनाडा से दवा प्राप्त की) और वह भी अधिक सफल नहीं हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन में शामिल देश इस प्रावधान की समीक्षा कर रहे हैं।

- ट्रिप्स समझौते में जीव–रूपों के पेटेंट से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा अन्तर्निहित है। वर्त्तमान प्रावधान सदस्यों को सूक्ष्म जीव एवं अजैविक तथा सूक्ष्मजैविक प्रक्रियाओं को अपने

पेटेंट–व्यवस्था से पृथक् नहीं करने को बाध्य करते हैं। यह सदस्यों को वनस्पति प्रजातियों को पेटेंट की, या स्वंयभूत पद्धति, या दोनों के द्वारा संरक्षित करने को बाध्य करता है। यह समीक्षा अभी अनिर्णीत है, यद्यपि इसकी शुरूआत 1999 में हुई।

- स्वदेशी एवं स्थानीय कृषक समुदायों के नवाचारों की सुरक्षा तथा उन परंपरागत कृषि के तरीकों की निरंतरता, जिसमें बीजों का बचाव, आदान–प्रदान तथा कृषि उपज के विक्रय के अधिकार शामिल हैं।
- स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके परंपरागत ज्ञान पर किसी निजी वर्चस्ववादी बौद्धिक संपदा अधिकार की रोकथाम।
- अन्य उत्पादों के भौगोलिक संकेतकों को उसी स्तर के संरक्षण की स्वीकृति, जैसा कि शराब एवं अन्य मद्य पदार्थों को है।

भाग ब. भारतीय संदर्भ

1. ट्रिप्स के अन्तर्गत भारतीय बाध्यताएं

प्रश्न 1: ट्रिप्स का उपयुक्त भारतीय विधान पर क्या प्रभाव है?

उत्तर: ट्रिप्स के अन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को स्वीकारने के लिए विभिन्न जारी घरेलू बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों को समय–समय पर संशोधित किया गया है। उदाहरण के लिए, पेटेंट के क्षेत्र में भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 ट्रिप्स के अनुपालन में संशोधित किया गया। पेटेंट अधिनियम, 1970 में पहला संशोधन पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा प्रभावी हुआ, जो जनवरी 1995 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया। संशोधित अधिनियम औषधि, दवा तथा कृषि रसायनों के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट के लिए आवेदन का प्रावधान है, ऐसे पेटेंट की अनुमति नहीं है।

हालांकि ऐसा प्रावधान है कि ऐसे आवेदनों का परीक्षण 31.12.2004 के बाद ही हो। इसकी आवश्यक्ता ट्रिप्स समझौते के अन्तर्गत संक्रमणकारी व्यवस्थाओं की दृष्टि से की गई। संक्रमणकारी व्यवस्था के अन्तर्गत विकासशील सदस्य देशों को ट्रिप्स–सम्मत कानून बनाने के लिए कुछ शर्तों के साथ एक ग्रेस अवधि प्रदान किया गया। एक शर्त यह था कि ट्रिप्स के अर्न्तगत दसवर्षीय ग्रेस अवधि का लाभ लेने के लिए (1जनवरी 2005 तक) आवेदनों का एक मेल–बॉक्स निर्मित किया जायेगा, जिसमें सभी पेटेंट–उत्पाद जनवरी 2005 से गुणों के पश्चात–परीक्षण हेतु रखे जाएंगे। इस अंतराल अवधि में आवेदकों को भारत में इन उत्पादों के विक्रय या वितरण हेतु कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन विशेष बाजार अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

1970 अधिनियम में दूसरा संशोधन पेटेंट्स (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा किया गया। यह अधिनियम पुराने पेटेंट्स नियम 1972 के स्थान पर नए पेटेंट्स नियम 2003 को विस्थापित कर 20 मई 2003 से प्रभावी किया गया। इन संशोधनों से भारत नें पेटेंट सुरक्षा की वे सभी बाध्यताएं पूरी कर लीं, जो ट्रिप्स समझौते के अन्तर्गत वर्ष 2000 तक पूरे किए जाने थे। डब्ल्यूआईपीओ की पेटेंट सहयोग संधि की अवश्यकताओं के अनुरूप पेटेंट्स अधिनियम 2001 तक के लिए परिवर्द्धित होकर लागू हुआ। पेटेंट्स अधिनियम 1970 में तीसरा संशोधन पेटेंट्स (संशोधन) अध्यादेश 2004 द्वारा 1 जनवरी 2005 से लागू किया गया। यह अध्यादेश बाद में 4 जनवरी 2005 को पेटेंट्स (संशोधन) अधिनियम 2005 (2005 का अधिनियम 15) से परिवर्त्तित हुआ, जो 1.1.2005 को प्रभाव में आया। इस संशोधन से भारत को औषधि, खाद्य एवं रासायनिक उत्पादों को उत्पाद–पेटेंट जारी करना पड़ा। इस अंतिम संशोधन से भारत से ट्रिप्स बाध्यताओं के पूर्णरूपेण मान्य किया।

इसी प्रकार, ट्रेडमार्क के प्रकरण में, अभी भारत में प्रभावी कानून ट्रेडमाक अधिनियम 1999 है, जिसे 15 सितम्बर 2003 से प्रभाव में लाया गया ताकि ट्रेड एवं मरचेंडाइज मार्कस् अधिनियम, 1958 को रद्द कर इसे ट्रिप्स के अनुकूल बनाया जा सके।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 कॉपीराइट के क्षेत्र में अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं संधियों के अनुरूप है। भारत ट्रिप्स 1951 की सार्वभौमिक कॉपीराइट संधि तथा 1886 का बर्न संधि (जो 1971 में पेरिस में परिवर्द्धित) का सदस्य है। यद्यपि भारत 1961 के रोम संधि का सदस्य नहीं है, 1957 का कॉपीराइट अधिनियम इस सम्मेलन के प्रावधानों के पूर्णरूपेण अनुरूप है। दो नयी संधियाँ, जिन्हें सामूहिक रूप से इंटरनेट संधियाँ कहा जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संस्था के तत्वावधान में 1996 में निर्णीत हुई। ये संधियाँ विपो कॉपीराइट्स संधि (डब्ल्यूसीटी) एवं विपो प्रदर्शन एवं फोनोग्राम संधि (डब्ल्यूपीपीटी) कही जाती हैं। ये संधियाँ इंटरनेट एवं डिजिटल युग में विशेषकर फोनोग्राम के प्रदर्शक एवं निर्माताओं तथा कॉपीराइट धारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गईं। भारत इन संधियों का सदस्य नहीं है। हालाँकि सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत संशोधनों का वर्त्तमान स्वरूप इन संधियों के अनुरूप कानून बनाने की इच्छा रखता है।

प्रश्न 2: पेटेंट की स्वीकृति के क्या मापदंड हैं?

उत्तरः पेटेंट आविष्कारों के लिए संपदा अधिकार देते हैं। कोई आविष्कार ऐसे नवीन विचार के रूप में पारिभाषित किया जा सकता है, जो किसी तकनीकी क्षेत्र में किसी समस्या विशेष का समाधान करता है। पेटेंट सभी तकनीकी क्षेत्रों में उत्पादों या प्रक्रियाओं–दोनों के लिए उपलब्ध होता है, जब वे नवीन होते हैं, कोई विशिष्टता रखते हैं तथा औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हैं। इस प्रकार, ट्रिप्स अनुबंध यह निर्धारित करता है कि सभी देश तकनीक के सभी क्षेत्रों में आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान करता है तथा यह दोनों ही–उत्पाद एवं प्रक्रियाओं, जो उत्पाद निर्माण लिए होते हैं, में शामिल हैं।

प्रश्न 3: क्या भारतीय कानून में पेटेंट्स पर कोई विशेष या अलग प्रावधान है?

उत्तरः पेटेंट्स अधिनियम 1970 की धारा में अपवादों का एक विशेष समूह है जिसके द्वारा कुछ चीजें कानून द्वारा सुरक्षित नहीं की जा सकती है। एक बहुत ही अलग प्रावधान धारा (3) की उपधारा 'डी' में वर्णित है। यह प्रावधान रासायनिक एवं औषधीय पदार्थों में कुछ सुधार के पेटेंट

को रोकता है, यदि उस पदार्थ के ज्ञात प्रभाव में कोई वृद्धि होती है। यह केवल नवीन गुण या ज्ञात पदार्थ के नये उपयोग या किसी ज्ञात प्रक्रिया, यंत्र, या उपयोग के पेटेंट को रोकता है। यह प्रावधान सार्वजनिक स्वास्थ्य के उद्देश्य से एक सुरक्षा है तथा एक उच्चतर पैमाना स्थापित करता है, जो औषधियों पर पेटेंट की स्वीकृति के लिए चिकित्सात्मक प्रभावोत्पादकता के लिए व्याख्यायित होता है।

प्रश्न 4: पेटेंट किस प्रकार स्वीकृत होता है? कौन–सा कार्यालय पेटेंट संबंधी मामलों को देखता है?

उत्तर: पेटेंट किसी राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय या किसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत होता है, जो अनेक देशों, जैसे कि यूरोपियन पेटेंट कार्यालय तथा अफ्रीकी क्षेत्रीय औद्योगिक संपदा संगठन के लिए कार्य करता है। इन क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के अधीन कोई आवेदक एक या एक से अधिक देशों में आविष्कार के लिए सुरक्षा का अनुरोध करता है तथा प्रत्येक देश यह निर्णय करता है कि वह अपनी सीमाओं के अन्दर पेटेंट की सुरक्षा करे या नहीं। विपो (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) प्रशासित पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) में एकल अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन करने का प्रावधान है, जिसके वही प्रभाव हैं जो मनोनीत देशों में राष्ट्रीय आवेदनों के होते हैं।

भारत में महानियंत्रक, पेटेंट्स, डिज़ाइन्स, एवं ट्रेडमार्क्स कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थित पेटेंट कार्यालयों द्वारा पेटेंट्स अधिनियम, 1970 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

2. ट्रेडमार्क (व्यापार–चिह्न)

प्रश्न 5: ट्रेडमार्क क्या है, यह किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है एवं किसी ट्रेडमार्क द्वारा प्रदत्त सुरक्षा की अवधि क्या होती है?

उत्तर: ट्रेडमार्क कोई चिह्न या प्रतीक होता है, जो किसी उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं से अलग करता है। यह कोई विशिष्ट शब्द, अक्षर, संख्या, आरेख, चित्र, आकृति, रंग, ध्वनि, गंध, लोगो या इनका कोई संयोजन हो सकता है, जो किसी

प्रदत्त व्यापार की वस्तुओं या सेवाओं को पृथक् दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रेडमार्क किसी उद्यम द्वारा उपभोक्ता तक पहुँचने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ताकि उपभोक्ता उत्पाद को पहचान सके, एवं स्थिति बता सके। ट्रेडमार्क राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है तथा दस वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत होता है एवं इसका अनिश्चितकाल के लिए नवीनीकरण हो सकता है।

प्रश्न 6: ट्रेडमार्क की स्वीकृति के लिए क्या मापदंड हैं?

उत्तर: ट्रेडमार्क की स्वीकृति के मापदंड हैं:

- चयनित प्रतीक पत्रात्मक रूप से सचित्र प्रदर्शन योग्य होना चाहिए।
- इसे किसी एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं से अलग दिखाने में सक्षम होना चाहिए।
- इसे व्यापार के दौरान वस्तुओं या सेवाओं, तथा चिह्न के अधिकृत उपयोगकर्त्ता के बीच का संबंध दर्शाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं हेतु उपयोग में लाया जाता है अथवा प्रस्तावित होता है।

प्रश्न 7: भारत में किन परिस्थितियों में कोई ट्रेडमार्क स्वीकृत होता है?

उत्तर: भारतीय ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 के अन्तर्गत ट्रेडमार्क की स्वीकृति के लिए निम्नांकित शर्त्तें शामिल की गई हैं :–

- ट्रेडमार्क की परिभाषा में, ट्रेडमार्क की तरह अपनाने योग्य वस्तुओं की आकृति, पैकेजिंग तथा रंगों के संयोजन को शामिल कर इसे विस्तृत बनाया गया है।
- वस्तुओं के लिए ट्रेडमार्क के अतिरिक्त सेवा–चिह्न के पंजीयन की स्वीकृति।
- ट्रेडमार्क का एकल पंजीयन; वस्तुओं या सेवाओं प्रत्येक संवर्ग/श्रेणी के लिए पृथक आवेदन की आवश्यकता नहीं, एक

आवेदन ही पर्याप्त; यद्यपि प्रत्येक श्रेणी के वस्तुओं या सेवाओं के लिए पृथक् दस्ती शुल्क (filing fee) लिया जायेगा।

- नकली वस्तुओं के विक्रय को रोकने के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के समकक्ष ट्रेडमार्क से संबंधित अपराधों के लिए अधिक दण्ड।
- ट्रेडमार्क का पंजीयन की अवधि दस वर्ष, तत्पश्चात् नवीनीकरण।
- संघों के स्वत्वाधीन सामूहिक चिह्न का पंजीयन स्वीकृत।
- ट्रेडमार्क–संबंधित कुछ अपराध संज्ञेय।
- समझौते में शामिल सदस्यों के आवेदन का भारत में विस्तार।

प्रश्न 8: किसी ट्रेडमार्क का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए?

उत्तर: किसी ट्रेडमार्क के चुनाव हेतु, यह ध्यान देने योग्य है कि–

- व्यापक खोज की जाए, जिसमें बाजार अध्ययन तथा व्यापार के लिए चयनित देश के आधारभूत आँकड़ों का अध्ययन शामिल हो।
- उन चिह्नों का निषेध किया जाए, जो–
  - ☐ वर्णनात्मक हैं।
  - ☐ वस्तुओं की गुणवत्ता तथा प्रकृति से संबंधित हैं।
  - ☐ व्यापार में निश्चित उद्देश्य को चिह्नित करते हों।
  - ☐ मात्र उपयोग के परिणामस्वरूप विशिष्ट प्रकृति के कारण पंजीयन की पात्रता रखते हों।
  - ☐ विस्तृत प्रचार के कारण विख्यात हों।
  - ☐ इस प्रकृति के हों कि आम जन को धोखा हो या भ्रम पैदा हो।
  - ☐ संभावित रूप से किसी वर्ग या नागरिकों की धार्मिक भावना आहत करें।
  - ☐ निंदनीय या अश्लील तथ्यगत हों।

- ☐ कानून के अन्तर्गत निषिद्ध चिह्न; उदाहरण के लिए प्रतीक एवं नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950 या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पंजीकरण योग्य नहीं हों।

3. डिज़ाइन

प्रश्न 9: डिज़ाइन किसे कहते हैं?

उत्तर: डिज़ाइन एक दूसरा बौद्धिक संपदा अधिकार है, तथा द्विविमीय या त्रिविमीय (या दोनों) रूपों में आकृति, विन्यास, ढाँचा, सजावट या किसी वस्तु पर प्रयुक्त रेखाओं या रंगों के संयोजन की बाह्य विशेषताओं का बोध कराता है। डिज़ाइन में किसी प्रक्रिया, या रचना का सिद्धान्त, या ऐसा कुछ जो केवल यांत्रिक उपकरण है, शामिल नहीं होता है। इसके अन्तर्गत कोई ट्रेडमार्क या कलात्मक कृति भी नहीं आते ।

प्रश्न 10: भारत में डिज़ाइन किस प्रकार पारिभाषित किया गया है ?

उत्तर: डिज़ाइन का बौद्धिक संपदा अधिकार, डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत व्याप्त है। इसका अर्थ है कि केवल द्विविमीय या त्रिविमीय या दोनों रूपों में आकृति, विन्यास, ढाँचा, सजावट या किसी वस्तु पर प्रयुक्त रेखाओं या रंगों के संयोजन की विशेषताएं– जो किसी औद्योगिक प्रक्रिया या साधन द्वारा, चाहे शारीरिक, यांत्रिक या रासायनिक हो, पृथक् या संयुक्त हो– तैयार वस्तु में आँखों को आकर्षित करे एवं केवल आँखों द्वारा परखा जा सके; परन्तु किसी प्रक्रिया, या रचना का सिद्धान्त, या ऐसा कुछ जो वास्तव में केवल यांत्रिक उपकरण है, शामिल नहीं करता है, तथा ट्रेड एवं मरचैंडाइज़ मार्क्स अधिनियम, 1958 की धारा (2) की उप–धारा (1) के उप–वाक्य (पाँच) में पारिभाषित कोई ट्रेडमार्क या भारतीय दंड संहिता की धारा 479 में पारिभाषित कोई संपदा–चिह्न या कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा (2) के उप–वाक्य(सी) में पारिभाषित किसी कलात्मक कृति को शामिल नहीं करता है।

प्रश्न 11: भारतीय डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं?

उत्तरः भारतीय डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के महत्वपूर्ण पहलू हैं:

- पंजीयन हेतु अयोग्य डिज़ाइनों की पहचान
- वर्गीकरण पद्धति का प्रारम्भ (लोकार्नो वर्गीकरण)
- किसी पंजीकृत डिज़ाइन के लिए दो वर्षों के गोपनीय अवधि की समाप्ति
- अधिसूचना के बाद सार्वजनिक निरीक्षण का प्रावधान
- डिज़ाइन के पंजीकृत स्वत्वधारी के अधिकारों का समावेश
- दस वर्षों की आरंभिक सुरक्षा अवधि के अनुक्रम में अनुरोध पर पाँच वर्षों का विस्तार
- व्यपगत डिज़ाइन के प्रत्यावर्तन का प्रावधान

प्रश्न 12: डिज़ाइन पंजीकरण महत्वपूर्ण क्यों है?

उत्तरः डिज़ाइन पंजीकरण व्यापार के लिए निम्नांकित कारणों से महत्वपूर्ण है:

- किसी नवीन/मौलिक आकृति, विन्यास, सतही ढाँचा, किसी वस्तु पर प्रयुक्त रेखाओं या रंगों के संयोजन की सुरक्षा करना तथा प्रवर्तक के डिज़ाइन की नकल को रोकना एवं स्वत्वधारी की सहमति के बिना किसी अन्य पक्ष द्वारा प्रवर्तक के डिज़ाइन का व्यावसायिक दोहन रोकना
- प्रवर्तक द्वारा डिज़ाइन के व्यावसायिक दोहन एवं अन्य पक्षों को इसके समनुदेशन द्वारा प्रामाणिक लाभ प्राप्त करना
- उपभोक्ता को उत्पाद पहचानने में समर्थ करना

प्रश्न 13: डिज़ाइन पंजीकरण बौद्धिक संपदा सुरक्षा किस प्रकार प्रदान करता है?

उत्तरः बौद्धिक संपदा के रूप में डिज़ाइन पंजीकरण का लाभ इस प्रकार है कि किसी डिज़ाइन का पंजीकरण, पंजीकृत स्वत्वधारी को डिज़ाइन

पंजीकरण की श्रेणी के वस्तु पर डिज़ाइन प्रयोग का विशेषाधिकार देता है। डिज़ाइन का पंजीकृत स्वत्वधारी अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा का अधिकारी होता है। उल्लंघन की स्थिति में वह मुकदमा दायर कर सकता है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है। वह किसी निमित्त या रॉयल्टी के लिए वैधानिक संपदा के रूप में अपने डिज़ाइन की अनुज्ञा जारी कर सकता है या बेच सकता है।

4. कॉपीराइट

प्रश्न 14: कॉपीराइट किसे कहते हैं? भारत में कॉपीराइट की सुरक्षा किस प्रकार की जाती है?

उत्तर: कॉपीराइट साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय एवं कलात्मक कृतियों के रचनाकार तथा ध्वनि रिकार्ड एवं सिनेमॉटोग्राफ़िक फिल्मों के निर्माताओं को उनकी रचनाओं एवं निर्माणों पर कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। यह रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मित एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। कॉपीराइट कलात्मक कृतियों के रचनाकारों के उनकी रचनाओं के अधिकारों को सुरक्षित, संरक्षित तथा पुरस्कृत करने के लिए है। लेखक, कलाकार, डिज़ाइनर, नाटककार, संगीतकार, वास्तुविद, ध्वनि रिकार्डिंग के निर्माता, सिनेमॉटोग्राफर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माता आदि कॉपीराइट के माध्यम से सशक्त होते हैं। ट्रिप्स के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कॉपीराइट द्वारा साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों (जैसे कि पुस्तक तथा अन्य लेखन, संगीतमय प्रस्तुतियाँ, चित्रकला, स्थापत्य–कला, कंप्यूटर प्रोग्राम तथा फ़िल्म) के रचनाकारों के अधिकार न्यूनतम रचनाकार के जीवन एवं उनकी मृत्यु के पचास वर्ष बाद तक सुरक्षित रहे।

कॉपीराइट सुरक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने हेतु किसी प्राधिकरण से पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, यह केवल विचार की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति की सुरक्षा करता है, न कि विचार को। इससे कई मुकदमों में विचार–अभिव्यक्ति का विरोधाभास सुलझा है।

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 मौलिक साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय एवं कलात्मक कृतियों तथा सिनेमॉटोग्राफ़िक फिल्मों एवं ध्वनि रिकार्डों को अनधिकृत उपयोग से बचाता है। पेटेंट से अलग, कॉपीराइट अभिव्यक्तियों की, न कि विचारों की सुरक्षा करता है। विचारों, प्रक्रियाओं, संचालन के तरीकों या गणितीय धारणाओं के लिए वास्तव में कोई कॉपीराइट सुरक्षा नहीं है। भारत में लेखकों की कॉपीराइट अवधि उनके जीवन सहित मृत्यु पश्चात् 60 वर्ष तक, एवं सिनेमॉटोग्राफ़िक फिल्मों एवं ध्वनि रिकार्डों के लिए निर्माण वर्ष से 60 वर्ष तक की अवधि के लिए है। स्वत्वधारी की मृत्यु के पश्चात्, ये अधिकार उनके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाते हैं।

प्रश्न 15: क्या कॉपीराइट के पंजीकरण की आवश्यकता है?

उत्तरः नहीं। कॉपीराइट की प्राप्ति स्वतः होती है तथा इसे पंजीकरण की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोई सृजित होती है, कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है। कॉपीराइट पंजीकरण का प्रभारी कार्यालय है–

कॉपीराइट कार्यालय,
चतुर्थ तल, जीवनदीप भवन
संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110001

प्रश्न 16: यदि कानून द्वारा कृतियों में कॉपीराइट सुरक्षा हेतु कॉपीराइट पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, तब भारत एवं कई अन्य देशों में पंजीकरण की प्रक्रिया क्यों है?

उत्तरः किसी देश में कॉपीराइट पंजीयन कार्यालय से किसी कृति का पंजीकरण किसी निश्चित तिथि को उस कृति के अस्तित्व का प्रमाण देता है। दूसरा, पंजीकरण की प्रक्रिया पंजीयन आवेदन में उक्त कार्य के तथ्य के बारे में प्रथम दृष्ट्या प्रमाण भी देता है। ये स्वत्वाधिकार एवं उल्लंघन से संबंधित कानूनी विवादों के निबटारे में सहायक होते हैं, हालांकि वे स्वयमेव स्वत्वाधिकार के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होते हैं।

5. भौगोलिक संकेतक

प्रश्न 17: भौगोलिक संकेतक किसे कहते हैं?

उत्तर: वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक ऐसा संकेत है, जो वस्तु की पहचान किसी देश या क्षेत्र की सीमा या उस सीमा के अन्तर्गत उत्पत्ति–स्थल से सूचित होता है। सामान्यतया, ऐसा नाम गुणवत्ता एवं विशिष्टता का प्रमाण वयक्त करता है, जो उस निश्चित भौगोलिक स्थल, क्षेत्र, या देश में इसकी उत्पत्ति को आवश्यक रूप से निरूपित करता है। वे ट्रिप्स अनुबंध की धाराएं 22 से 24 के अन्तर्गत आती हैं। दूसरे बौद्धिक संपदा अधिकारों के विपरीत, किसी भौगोलिक संकेतक पर उस समुदाय के सदस्यों का स्वामित्व होता है, जो उस वस्तु का उत्पादन करता है। भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीयन एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 पारित किया है, जो 15 सितम्बर 2003 से प्रभावी हो चुका है। यह अधिनियम महानियंत्रक, पेटेंट्स, डिज़ाइन्स, ट्रेडमार्क्स द्वारा, जो भौगोलिक संकेतकों के पंजीयक होते हैं, प्रशासित होता है। किसी भौगोलिक संकेतक को भौगोलिक संकेतक पंजीयन कार्यालय में 10 वर्षों के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है, यद्यपि समय–समय पर इसका नवीनीकरण हो सकता है।

प्रश्न 18: भौगोलिक संकेतक किस प्रकार उत्पत्ति–नाम से भिन्न होते हैं?

उत्तर: भौगोलिक संकेतक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त ऐसा प्रतीक है, जिसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है तथा जिनकी उत्पत्ति–स्थल के कारण विशेषता या पहचान होती है। भौगोलिक संकेतक केवल स्थान–नाम ही नहीं, बल्कि उत्पाद को बताने वाले दूसरे नाम, और संकेतक हो सकते हैं।

दूसरी तरफ, उत्पत्ति–नाम उत्पादों पर प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का भौगोलिक संकेतक होता है, जो उत्पादित वस्तु के भौगोलिक वातावरण के कारण अनन्य एवं आवश्यक रूप से किसी विशिष्ट गुण को दर्शाता है। कृषि उत्पादों के सामान्यतया ऐसे गुण होते हैं, जो उनके उत्पादन–स्थल से लिए गए होते हैं, तथा जलवायु एवं मिट्टी जैसे विशिष्ट स्थानीय कारकों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार,

उत्पत्ति–नाम की अवधारणा, भौगोलिक संकेतक की अवधारणा में निहित है।

6. वनस्पति विविधता की सुरक्षा

प्रश्न 19: वनस्पति विविधता की सुरक्षा किसे कहते हैं? वनस्पति विविधता की सुरक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है? भारतीय कानून में यह किस प्रकार पारिभाषित है तथा वनस्पति विविधता की सुरक्षा द्वारा सुरक्षा की अवधि क्या होती है?

उत्तर: भारत विश्व के उन देशों में से एक है, जिसने वनस्पति विविधता की सुरक्षा एवं कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत प्रजनकों तथा कृषकों–दोनों को अधिकार देते हुए स्वंयभूत (लैटिन पद, सुई जेनेरिस का अर्थ होता है 'अपने ही प्रकार का') कानून पारित किया। यह कानून संपदा अधिकार के अन्दर विभिन्न भागीदारों–जिसमें निजी क्षेत्र के प्रजनक, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, गैर–सरकारी संगठन एवं कृषक शामिल हैं – के हितों को सम्मिलित करता है। जब कोई देश वनस्पति तथा जन्तु आविष्कारों और वनस्पति प्रजातियों को पेटेंट की परिधि से बाहर रखता है, तब उसे ट्रिप्स द्वारा स्वीकृत एक प्रभावकारी स्वंयभूत पद्धति के अधीन सुरक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

यह सामान्य रूप से समझा जाता है कि इस प्रावधान का लक्ष्य यूपीओव्ही (वनस्पतियों की नयी प्रजातियों की सुरक्षा पर सहमति) द्वारा प्रदत्त स्वंयभूत पद्धति के प्रयोग के लिए देशों को प्रोत्साहित करना है। भारत का अधिनियम सक्रिय भागीदारों के हितों को प्रदर्शित करते हुए चार प्रकार के प्रजातियों के पंजीकरण की अनुमति देता है–नवीन प्रजाति (नवीन, विशिष्टता, एकरूपता, तथा स्थिरता), विद्यमान प्रजाति (विशिष्टता, एकरूपता, तथा स्थिरता), तत्त्वतः व्युत्पन्न प्रजाति (ऐसे मूल प्रजाति से तत्त्वतः व्युत्पन्न प्रजाति, जो प्रबलता से व्युत्पन्न होकर मूल प्रजाति से स्पष्टतया भिन्न होते हैं तथा वास्तविक चरित्र की अभिव्यक्ति में मूल प्रजाति के समान होते हैं) एवं कृषक प्रजाति (कृषकों द्वारा अपने खेतों में परंपरागत रूप से उगाया

तथा विकसित किया गया, या ऐसी प्रजाति का जंगली अपरूप या स्थल प्रकार जिसके बारे में कृषकों को प्रचुर ज्ञान होता है)।

प्रश्न 20: कौन–सा भारतीय कार्यालय वनस्पति विविधता की सुरक्षा से संबद्ध हैं?

उत्तरः भारत में वनस्पति के नवीन प्रजातियों के विकास को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों व प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, वनस्पति विविधता की सुरक्षा एवं कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत वनस्पति प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण स्थापित किया गया है। वनस्पति प्रजातियों का राष्ट्रीय पंजी प्रजनकों तथा वनस्पति प्रजातियों के पते संधारित करता है। पादपों एवं लताओं के लिए महत्तम सुरक्षा 18 वर्ष तथा विद्यमान प्रजाति के लिए 15 वर्ष है। कृषकों के अधिकार संरक्षित किए जाते हैं, जब उनके पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन योग्य प्रजातियों में अनुवंश के दाता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कृषकों को राष्ट्रीय ज़ीन (अनुवंश) कोष से पहचान एवं पुरस्कार की पात्रता है। कृषक प्रजनक से क्षतिपूर्त्ति का दावा कर सकता है, यदि कोई प्रजाति अपेक्षित उपलब्धि नहीं देता है।

7. व्यापार–भेद

प्रश्न 21: व्यापार–भेद किसे कहते हैं? इसकी सुरक्षा किस प्रकार की जाती है?

उत्तरः व्यापार–भेद एक एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, जो धारक के पास अनिश्चितकाल, या उस अवधि के लिए होता है जब तक वह उसे गुप्त रख सकता है। किसी उद्यम को कुछ व्यापार–भेद रखने में समर्थ बनाने के लिए, धारक को व्यवसाय के कर्मचारियों के साथ गोपनीयता समझौते सुनिश्चित करना चाहिए। इसे सेवा अनुबंध समझौते में शामिल किया जा सकता है।

किसी सूचना को व्यापार–भेद मानने के लिए, यह आवश्यक है कि उस सूचना से वाणिज्यिक महत्व संबद्ध होने चाहिए, और यह कि वाणिज्यिक महत्व समाप्त हो सकता है व्यापार–भेद धारक के

व्यापारिक हितों को नुकसान पहुँचाते हुए और यह कि धारक ने व्यापार–भेद को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया था ताकि उसकी हानि केवल अवैधानिक तरीके से ही संभव हो।

प्रश्न 22: ट्रिप्स अनुबंध व्यापार–भेद या गुप्त सूचना के संबंध में क्या कहता है?

उत्तरः गुप्त सूचना, या व्यापार–भेद को ट्रिप्स अनुबंध के द्वारा प्रथमतः सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सुरक्षा प्रदान की गई है। यह स्पष्टरूपेण गुप्त सूचना– व्यापार–भेद या तकनीकी जानकारी की सुरक्षा से लाभ को दर्शाता है। सुरक्षा उस सूचना पर लागू होता है जो गुप्त होती है, गुप्त होने के कारण जिनका वाणिज्यिक महत्व होता है तथा गुप्त रहने के लिए उचित उपायों के अधीन होता है। अनुबंध यह नहीं कहता है कि गुप्त सूचना को संपदा के रूप में मान्य किया जाये, किन्तु यह निर्धारित करता है कि ऐसी सूचना का वैधानिक धारक उचित वाणिज्यिक आचरण के विपरीत बिना उसकी सहमति के दूसरों को व्यक्त, प्राप्त, या प्रयुक्त करने से रोकने का सामर्थ्य रखता है।

8. नवीन वार्त्ताएं तथा क्षेत्र

प्रश्न 23: भारत के लिए ट्रिप्स के अन्तर्गत विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकार पर वार्त्ताओं की क्या चुनौतियाँ हैं?

उत्तरः चर्चा में आये प्रायः सभी बौद्धिक संपदा अधिकार पर, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंच से वार्त्ताएं जारी हैं। जीव–रूपों के पेटेंट, दोहा घोषणा–पत्र द्वारा दवाओं को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, आदि पर वर्त्तमान बहस जारी है। जैव–विविधता, एवं वनस्पति सुरक्षा तथा तकनीक हस्तांतरण के स्वंयभूत पद्धतियों से इसके संबंध चिंता के अन्य मुद्दे हैं। यह भी चर्चा में है कि क्या भौगोलिक संकेतकों के लिए उच्चतर सुरक्षा को शराब एवं मद्य पदार्थों के अलावा विस्तृत किया जाये। इंटरनेट पहुँच और इलेक्ट्रॉनिक नस्तियों के आदान–प्रदान ने कॉपीराइट के कुछ स्थापित नियमों पर सवाल उठाए हैं। इन सभी

मुद्दों पर, भारत द्वारा वैश्विक रूझान के परीक्षण, तथा अग्रसक्रिय होकर सुविज्ञ नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

प्रश्न 24: बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रवर्त्तन में क्या चुनौतियाँ हैं?

उत्तर: बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रवर्त्तन हमेशा एक चुनौती रहा है। औद्योगिक संपदा के मामले में, बौद्धिक संपदा अधिकार धारक पर उल्लंघन की पड़ताल का दायित्व रहता है। कॉपीराइट (सर्वाधिकार) एवं संबंधित अधिकार के मामले में, एनएएसबीए (बिज़ीनेस सॉफ्टवेयर अलायंस एण्ड अदर अलायंस ऑफ स्टेट ब्राडकास्टर्स एसोशिएशन्स), अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा गठबंधन (आईआईपीए) जैसे कई संगठन हैं, जो कॉपीराइट धारकों के हितों को बढ़ावा देते हैं। वर्त्तमान में अत्यधिक दिलचस्पी है कि कुछ देश कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क सुरक्षा के प्रवर्त्तन हेतु नकल–विरोधी व्यापार समझौते (एसीटीए) पर वार्त्ता कर रहे हैं। यह कई विकासशील देशों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार का कठोर प्रवर्त्तन, तथा ट्रिप्स–प्लस (ट्रिप्स के अतिरिक्त) प्रावधानों पर वार्त्ता की संभावना के रूप में देखा जा रहा है।

सारणी: विषय–वस्तु एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपी आर्स) के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र

विषय–वस्तु	बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर्स) के प्रकार	प्रमुख क्षेत्र
नवीन, अप्रकट आविष्कार	पेटेंट	रसायन, औषधीय उत्पाद, प्लास्टिक, ईंजिन, टरबाईन, इलेक्ट्रानिकी, नियंत्रक उवं वैज्ञानिक उपस्कर, यांत्रिक उपकरण
वस्तु एवं सेवाओं की पहचान के चिहन या प्रतीक	ट्रेडमार्क	समस्त उद्योग/व्यावसायिक प्रतिष्ठान
मौलिक लेखकीय कृति, कलात्मक प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफ फिल्म, प्रसारण, फोनोग्राम निर्माण	कॉपीराइट (सर्वाधिकार) एवं संबंधित अधिकार	प्रकाशन, मुद्रण, मनोरंजन, (श्रव्य, दृश्य चलचित्र) सॉफ्‌टवेयर, प्रसारण
मौलिक खाका/डिज़ाइन	एकीकृत परिपथ	सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी उद्योग
नवीन, स्थिर, समरूप, विशिष्ट प्रजातियाँ	वनस्पति प्रजनक के अधिकार	कृषि एवं खाद्य उद्योग

विषय–वस्तु	बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर्स) के प्रकार	प्रमुख क्षेत्र
छद्म व्यावसायिक सूचना	व्यापार–भेद	समस्त उद्योग
सजावटी प्रारूप	औद्योगिक डिज़ाइन	वस्त्र, आटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रानिकी, उपभोक्ता सामग्री, इत्यादि
वस्तुओं एवं सेवाओं के भौगोलिक उत्पत्ति–स्थल	भौगोलिक संकेतक	शराब, मादक द्रव्य, पनीर, अन्य खाद्य उत्पाद एवं स्थानवाची उत्पाद जैसे कि दार्जीलिंग चाय, हस्तकला, हथकरघा।

संबंधित वेबसाईट

- www.commerce.nic.in
- www.wto.org
- www.unctad.org
- www.worldbank.org
- www.wipo.int
- www.fao.org
- www.unescap.org
- www.artnetontrade.org
- www.ictsd.org

डब्लूटीओ केंद्र के बारे में

डब्लूटीओ अध्ययन केंद्र संस्थान में नवम्बर 2002 से कार्य कर रहा है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य डब्लूटीओ से संबंधित चिन्हित मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय को अनुसंधानात्मक व विश्लेष्णात्मक सहायता प्रदान करता है।

केंद्र हाल में बहुत मजबूत हुआ है। इसे अब अधिक मान्यता मिली है और यह केंद्र अनुसंधान गतिविधियां चलाता है, डब्लूटीओ से संबंधित मुद्दों पर मुखपत्र प्रकाशित करता है। सेमिनार, कार्यशाला विषय आधारित बैठकों आदि पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है तथा व्यापार स्त्रोत् केंद्र में महत्वपूर्ण डब्लूटीओ दस्तावेज एकत्रित करता है। केंद्र के कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए परिचालन समिति गठित की गई है। केंद्र इस समय निम्न डब्लूटीओ संबंधित विषयों पर अनुसंधान गतिविधियों लगा हुआ है।

- **कृषि**
- **बौद्धिक संपदा अधिकार**
- **स्वछता एवं स्वास्थ उपायों पर समझौता**
- **व्यापार में तकनीकी अवरोध पर समझौता**
- **व्यापार सुविधा**
- **तकनालॉजी अंतरण**
- **पर्यावरण एवं व्यापार से संबंधित मुद्दे**
- **श्रम संबंधी मुद्दे**

डब्लूटीओ केंद्र और इसकी गतिविधियों पर और अधिक जानकारी इसकी वेबसाईट http://wtocentre.iift.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
आईआईएफटी भवन, बी–21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–26564409
E-mail: editor_wtocentre@iift.ac.in